## दिल्ली विधान सभा सचिवालय समाचार भाग-2 (विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) वीरवार, 21सितम्बर, 2006/ भाद्रपद 30, 1928 (शक)

संख्या-185

## विषय: सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को संबोधित, उपायुक्त, उत्तर-पूर्व जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ:-

"मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि श्री साहिब सिंह चौहान, माननीय सदस्य, दिल्ली विधान सभा को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत पुलिस थाना खजूरी खास में दिनांक 18.09.06 को अपराहन 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन अपराहन 1.40 बजे रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव सचिव

## DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Thursday, 21th September 2006/30 Bhadrapad 1928 (Saka)

No. 185

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, North East Distt., Delhi.

"I have the honour to inform you that Sh. Sahib Singh Chauhan. Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi, was detained at Khajuri Khas, Police Station, on 18.09.2006 Delhi Police at 12.30 P.M. U/S 65 of Delhi Police Act and was released on the same day at 1.40 P.M.

Siddharath Rao Secretary